उत्तर प्रदेश पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

यातायात नियम, सड़क सुरक्षा, बचाव और प्रबंधन

विषय सामग्री

क्रमांक	सामग्री	समय (मिनट)	स्लाइड संख्या
12	यातायात समस्याओं में पी आर वी कर्मी की भूमिका	25	32 - 45
13	ट्रैफिक जाम को कम करने के उपाय	15	46
14	वीडियो	10	47
15	केस स्टडी	30	48 - 50
16	यातायात नियम एवं कानूनी जानकारी (मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक - 2019)	15	51
17	कुछ ध्यान रखने योग्य बातें	20	52
18	प्रश्नोत्तर	30	53
19	निष्कर्ष	10	54

विषय सामग्री

क्रमांक	सामग्री	समय (मिनट)	स्लाइड संख्या
1	परिचय	10	4
2	उद्देश्य	10	5
3	यू०पी०112 में दर्ज ट्रैफिक सम्बन्धी आंकड़े	10	6
4	घटना के प्रकार व उपप्रकार	15	8 -9
5	सड़क उपयोगकर्ता	20	10
6	सड़क सुरक्षा नियम	20	11 - 12
7	यातायात में समस्या के कारण	20	13
8	केस स्टडी	30	14 -16
9	ट्रैफिक सिग्नल (यातायात संकेत)	15	17

परिचय

- भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश है तथा उत्तर प्रदेश, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है; आबादी का सीधा सम्बन्ध सड़क पर मौजूद उपयोगकर्ताओं की संख्या से होता है
- सड़कों पर जितनी अधिक संख्या में सड़क उपयोगकर्ता होंगे, ट्रैफिक सम्बन्धी समस्याओं की संभावना उतनी ही अधिक होगी
- यदि सड़क उपयोगकर्ता यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो

उद्देश्य

इस सत्र के पश्चात आप निम्न में सक्षम होंगे:

- यातायात सम्बंधित समस्याओं को प्रभावी ढंग से सुलझाने में
- यातायात सम्बन्धी प्रावधान लागू करने वाली संस्था से प्रभावी ढंग से समन्वय स्थापित करने में

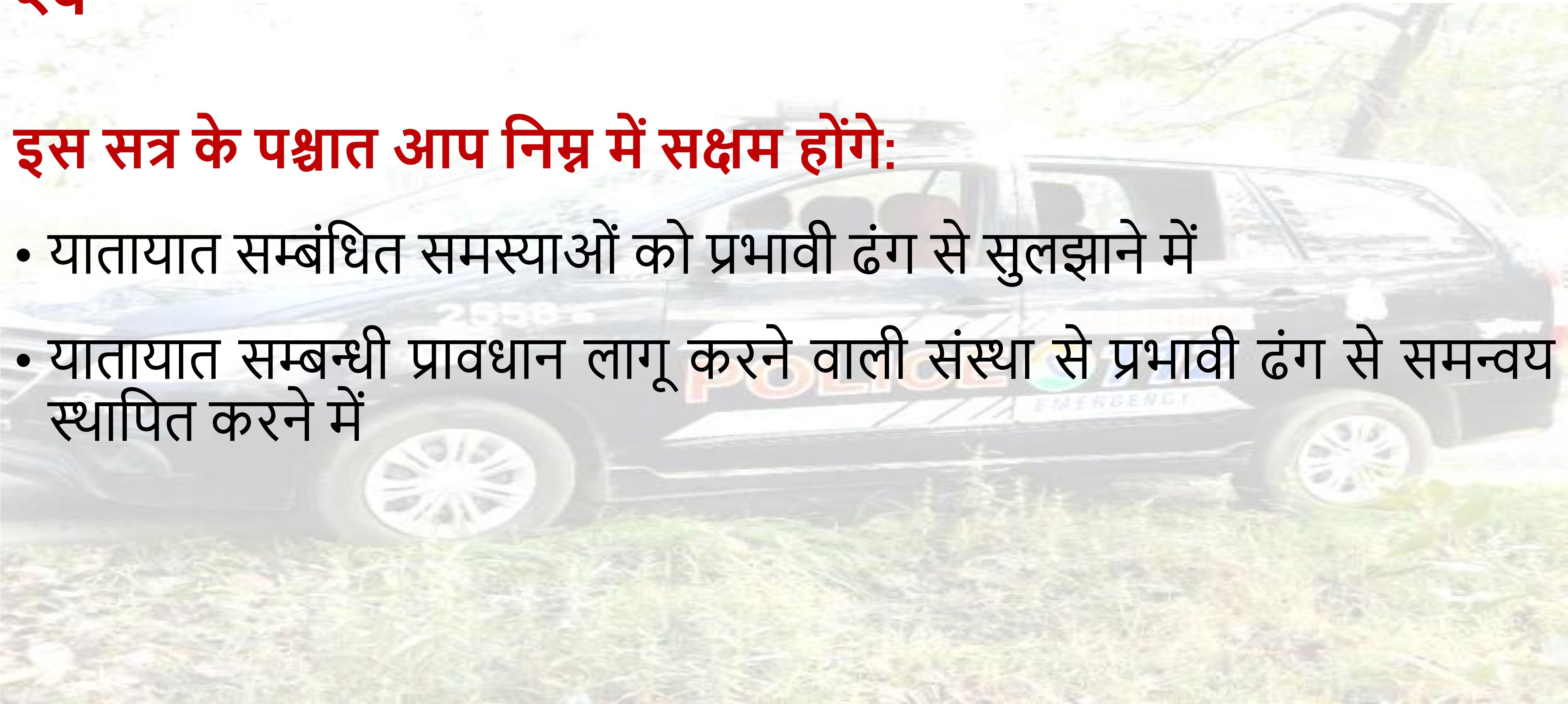

यू०पी०112- में 01st Apr 2023 to 31st March 2024 Encroachment सम्बन्धित आंकड़े

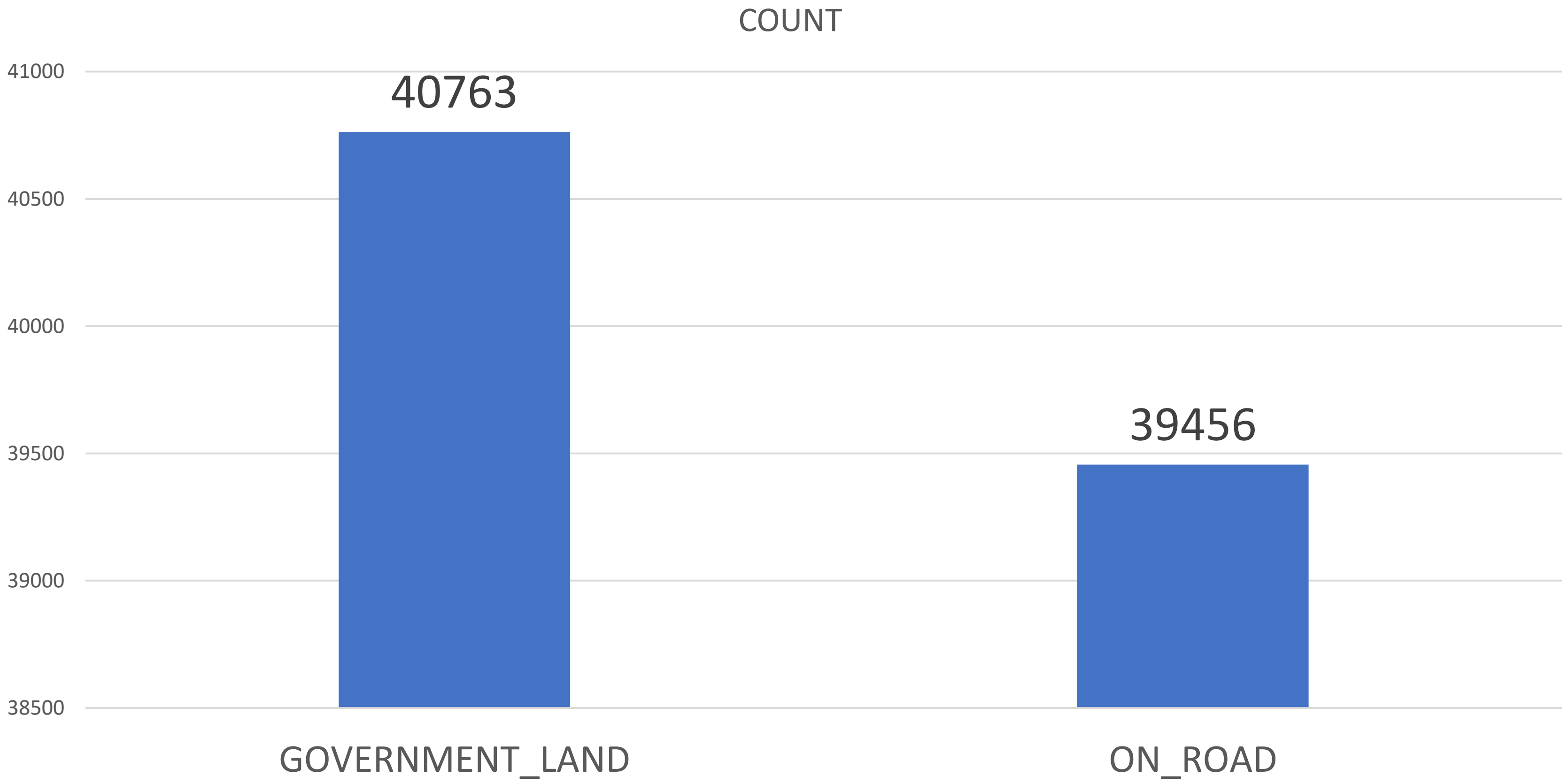

यू०पी०112- में 01st Apr 2023 to 31st March 2024 Traffic Jam सम्बन्धित आंकड़े

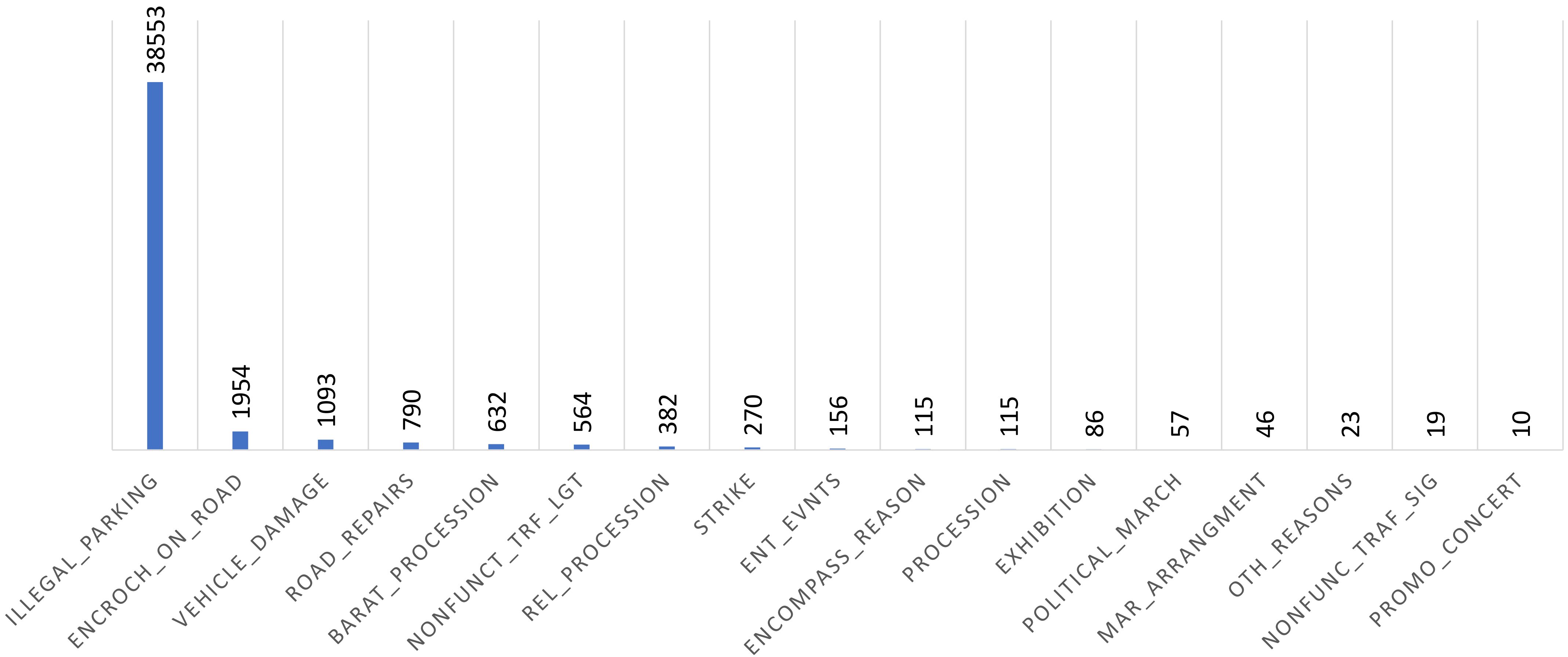

यू०पी०112- में 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित आंकड़े

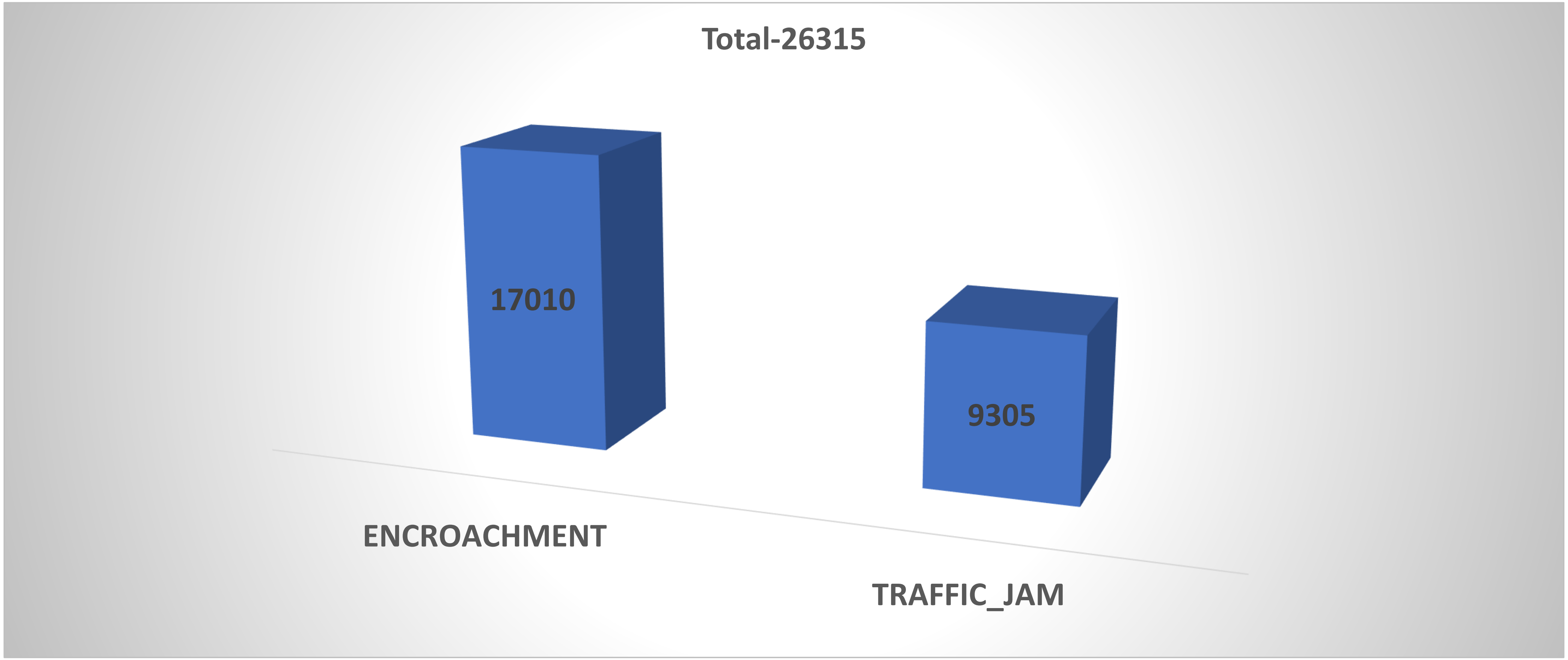

यू०पी०112- में 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित आंकड़े

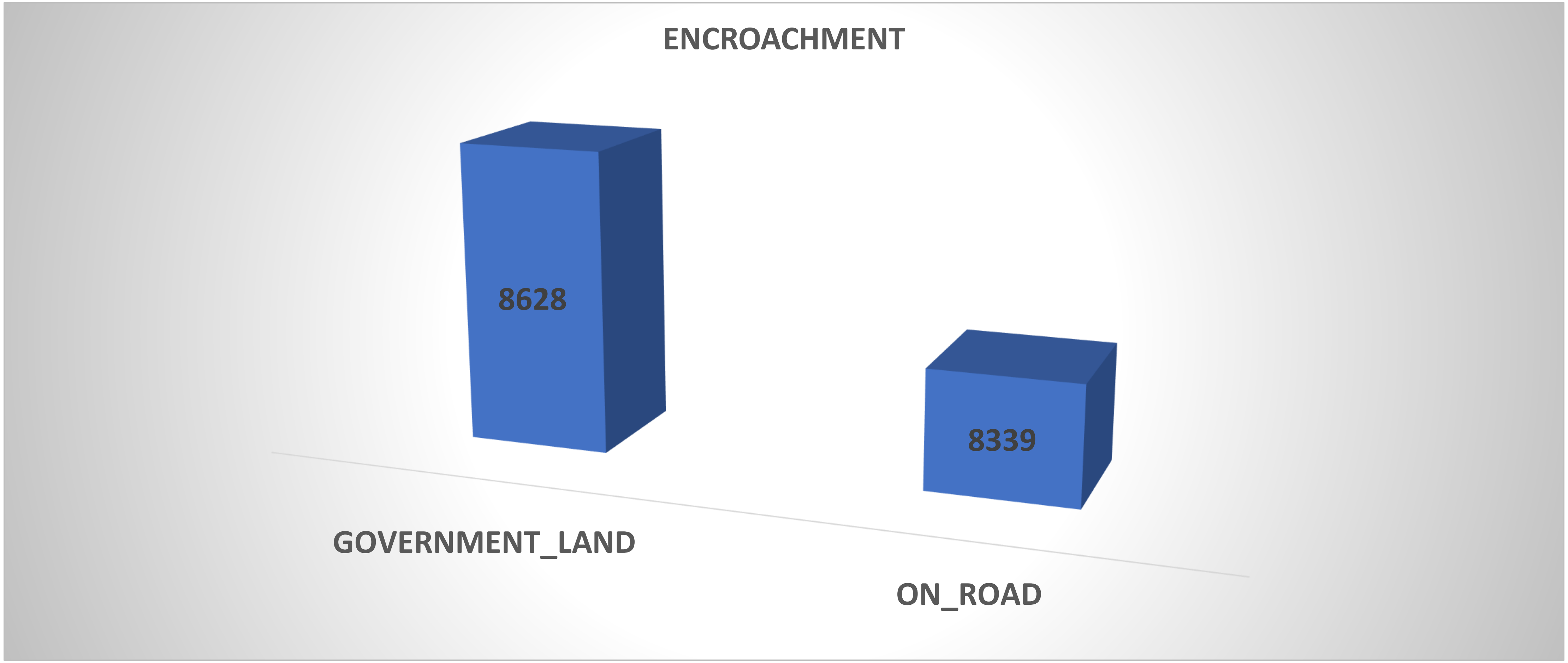

यू०पी०112- में 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित आंकड़े

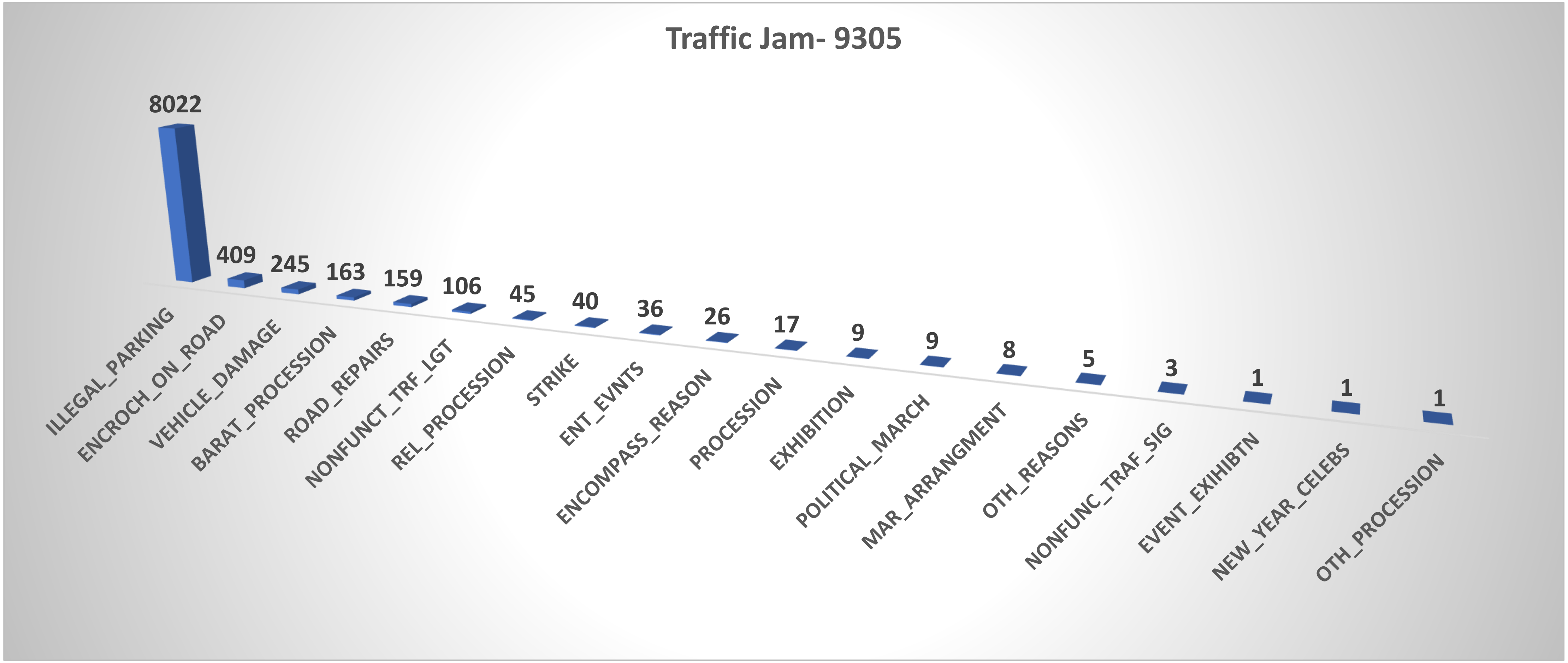

घटना के प्रकार व उपप्रकार

- TRAFFIC_JAM
  - BARAT_PROCESSION (बारात के कारण)
  - ENCOMPASS_REASON (धरना/ प्रदर्शन के कारण)
  - ENCROCH_ON_ROAD (सड़क पर अतिक्रमण के कारण)
  - ENT_EVNTS (मनोरंजक आयोजनों के कारण)
  - EXHIBITION(प्रदर्शनी के कारण)
  - ILLEGAL_PARKING(अवैध पार्किंग के कारण)
  - MAR_ARRANGMENT(मैरेज लॉन/ मैरेज होम/ बारात घर में आयोजन के कारण)
  - NEW_YEAR_CELEBS(न्यू ईयर पर आयोजन के कारण)
  - NONFUNCT_TRF_LGT(अक्रियाशील ट्रैफिक लाईट)
  - POLITICAL_MARCH(राजनैतिक जुलूस के कारण)
  - PROCESSION(जुलूस के कारण)

घटना के प्रकार व उपप्रकार

- PROMO_CONCERT(प्रमोशनल कन्सर्ट के कारण)
- REL_PROCESSION(धर्मिक जुलूस के कारण)
- ROAD_REPAIRS(सड़क मरम्मत के कारण)
- STRIKE(हड़ताल के कारण)
- VEHICLE_DAMAGE(वाहन खराब होने के कारण)
- BARAT_PROCESSN(जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत बारात के कारण।)
- EVENT_EXIHIBTN(जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत सरकारी आयोजनों के कारण, प्रदर्शनी के कारण।)
- NONFUNC_TRAF_SIG(जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत अक्रियाशील ट्रैफिक लाइट)
- OTH_PROCESSION(जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत जुलूस के कारण, धरना/प्रदर्शन के कारण।)
- OTH_REASONS(जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत वाहन खराब होने के कारण, अवैध पार्किंग के कारण, सड़क मरम्मत होने पर, अतिक्रमण के कारण जाम)
- STRIKE_RELI_ETC(जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत हड़ताल के कारण, धार्मिक जुलूस के कारण, राजनैतिक जुलूस के कारण।)

सड़क उपयोगकर्ता

- पैदल चलने वाले
- दिव्यांग व्यक्ति
- छोटे वाहन
- बड़े/ व्यवसायिक वाहन

- बैलगाड़ी, रिक्शा, साइकिल, इत्यादि
- स्कूल वाहन
- पथ विक्रेता, पार्किंग
- जलूस, यात्रा, धरना प्रदर्शन आ

सड़क सुरक्षा नियम

- यातायात नियमों का पालन करें
- वाहन चलाते समय फोन पर बात न करें
- हमेशा निर्धारित गति सीमा में चलें
- वाहन चलाते समय हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग करें
- वाहन चलाते समय नशीले पदार्थों का सेवन न करें
- हमेशा सतर्क रहें

सड़क सुरक्षा नियम

- वाहन की लाइट का सही उपयोग करें
- वाहन सही लेन(lane) में चलाएं
- दूसरे वाहनों को दाएँ ओर से सावधानीपूर्वक ओवरटेक करें
- बिना अनुमति एवं उचित व्यवस्था के ज्वलनशील रसायनों/ पदार्थों को वाहनों में न ले जाएं
- वाहनों का उचित रख रखाव करें
- वाहन के प्रदूषण स्तर की नियमित जाँच

यातायात में समस्याओं के कारण

- सड़कों और पैदल पथ (पगडंडियों) पर वाहनों
- पथ विक्रेताओं तथा अवैध पार्किंग द्वारा अतिक्र
- निर्माणकार्यों के कारण ट्रैफिक जाम
- सड़कों / रास्तों की ख़राब स्थिति
- वाहनों की ख़राब स्थिति
- दुर्घटना
- बारात/ जुलूस/ धरना प्रदर्शन/ विरोध प्रदर्शन/ आदि

केस स्टडी

- इवेंट नं - P02041910857
- कॉलर ने क्या कहा-

- इस घटना का संक्षिप्त विवरण बनाएं
- इस घटना में एक PRV कर्मी के रूप में आप से क्या
- आप को इस घटना की सूचना मिलने पर आप क्या-क…

घटना का विवरण

CO

Event Number	Call Time Stamp	Dispatch Time Stamp	Incident Time
P02041910857	02-04-2019 22:02:22	02-04-2019 22:05:22	--

District	Police Station	Area
VARANASI	BARAGAON	VNS-AREA-RURAL

Event Type	Event Sub Type	Incident Address
TRAFFIC_JAM	VEHICLE_DAMAGE	KAPSEDHI OR BADAGAON KE BEECH ME 4-6 KM. TALIKA DHAM

Caller Name	CallerNumber	Caller Address
SHUBHAM S/O NEERAJ	9839065441	,,,,,

Remarks

MAUKE PER GYE JAM KO KULWAYA JA RAHA HAI,CALLER NUMBER:9839065441 // LBS CALL, ट्रक खराब हो गयी है, जिसके कारण जाम लग रहा है, ४५ मिनट से / KAPSEDHI OR BADAGAON KE BEECH ME 4-6 KM. TALIKA DHAM KA PUL ,, VARANASI VNS-BARAGAON ..,VNS0639, INFO TO PRV BY PHONE FOR ACKNOWEDGE, ENRUTE, ARRIVE AND OTHER N/A.

विचारणीय बिंदु

- क्या आप काल सुनने के बाद CO रिमार्क से सहमत हैं?
- क्या ATR सही भरी गयी है?
- क्या आप PRV की कार्यवाही से संतुष्ट हैं?
- PRV इस घटना में और क्या कर सकती थी कि पुलिस की छवि बेहतर होती?
- क्या पीड़ित पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट होगा?

ट्रैफिक संकेत

- लाल संकेतक
- पीला संकेतक
- हरा संकेतक

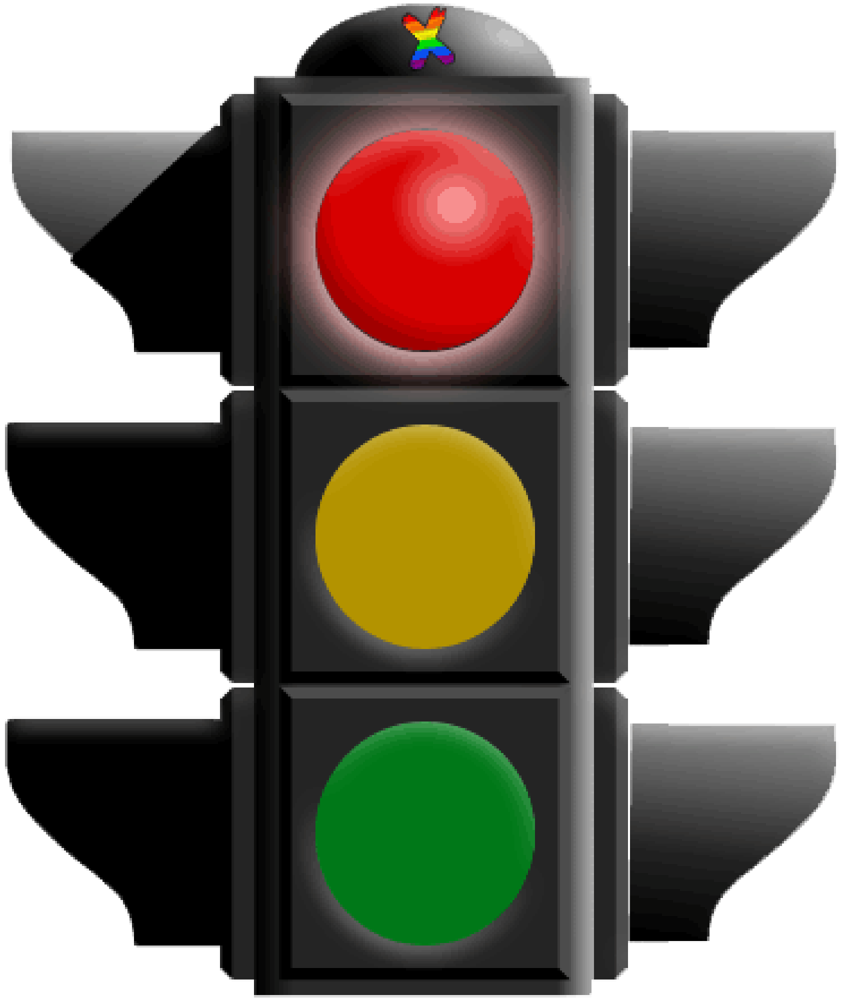

यातायात
सड़क चिन्ह

आदेशात्मक चिन्ह

चेतावनी चिन्ह

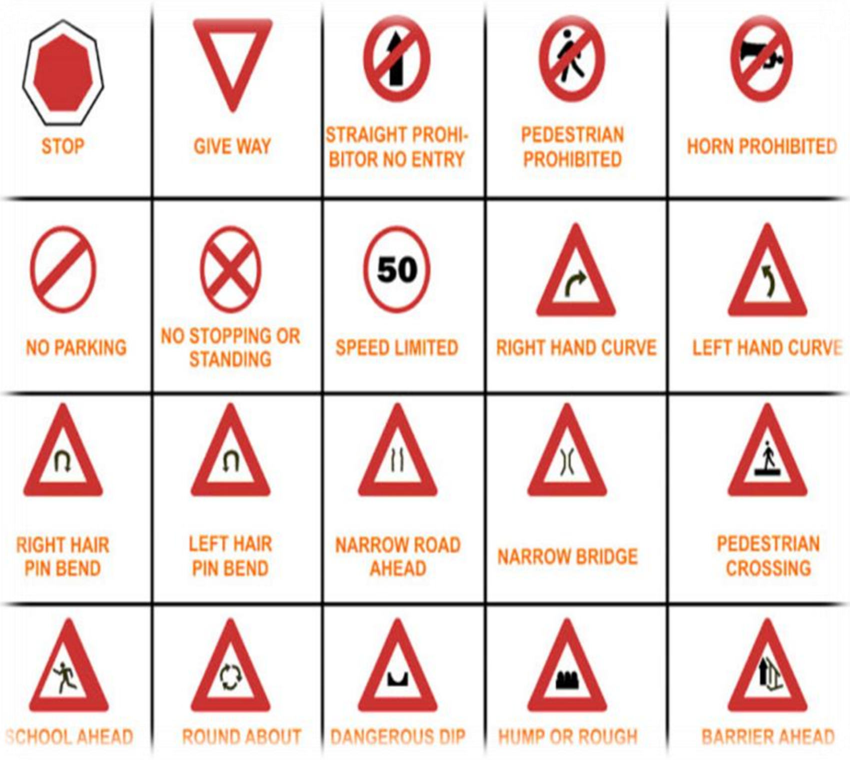

सूचनात्मक चिन्ह

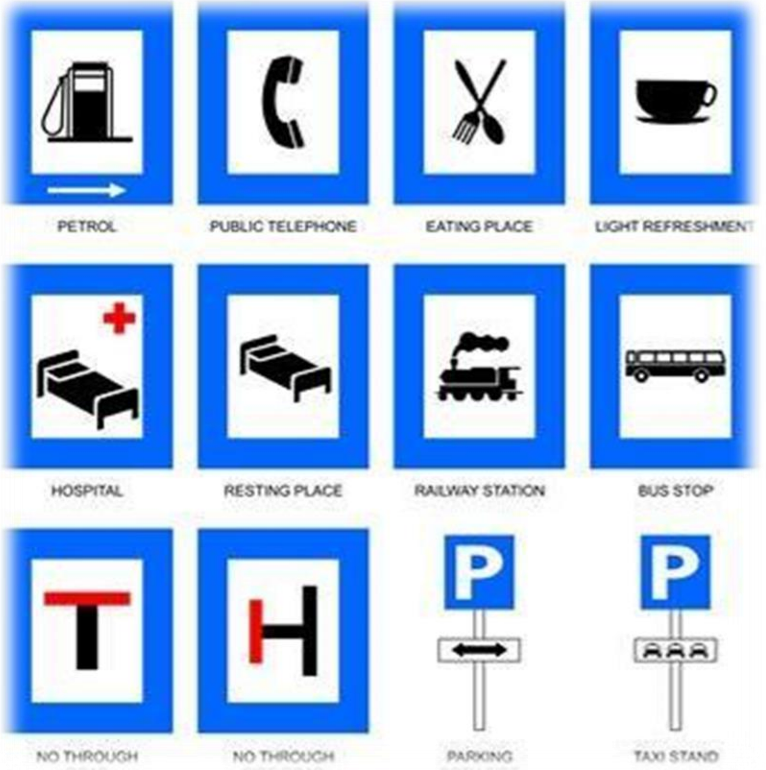

आदेशात्मक चिन्ह

- आदेशात्मक चिन्ह दो प्रकार के आदेश देते है नकारात्मक और सकारात्मक

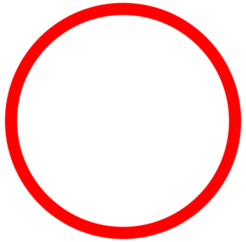

- लाल चिन्ह नकारात्मक अनिवार्य आदेश देते हैं

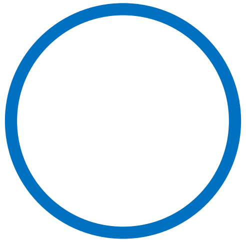

- नीला गोलाकार चिन्ह सकारात्मक अनिवार्य आदेश देते हैं

आदेशात्मक चिन्ह

STOP
One Way Sign
Vehicle Prohibited in both directions
All motor vehicles prohibited
Truck prohibited
Straight Prohibited or No entry
One Way Sign
Hand cart prohibited
Cycle prohibited
Pedestrians prohibited
Right turn prohibited
Bullock cart prohibited
Tonga prohibited
Overtaking prohibited
Horn prohibited
Bullock cart & cart prohibited
50
Speed limit
No parking
No stopping or standing
Compulsory ahead only
Compulsory keep left
Compulsory turn left
Compulsory turn right
Compulsory turn right ahead
Compulsory turn left ahead
Compulsory ahead or turn left
Compulsory ahead or turn right
Compulsory cycle track
Compulsory sound horn

STOP

GIVE
WAY

वीडियो

चेतावनी चिन्ह

Right Hand Curve
Left Hand Curve
Right Hair Pin bend
Left Hair Pin bend
Right Reverse Bend
Left Reverse Bend
Steep Ascent
Steep Descent
Narrow Road Ahead
Road Widens Ahead
Narrow Bridge
Slipper Road
Lose Gravel
Cycle Crossing
Pedestrian Crossing
School Ahead
Men At Work
Cattle
Falling Rocks
Ferry

सूचनात्मक चिन्ह

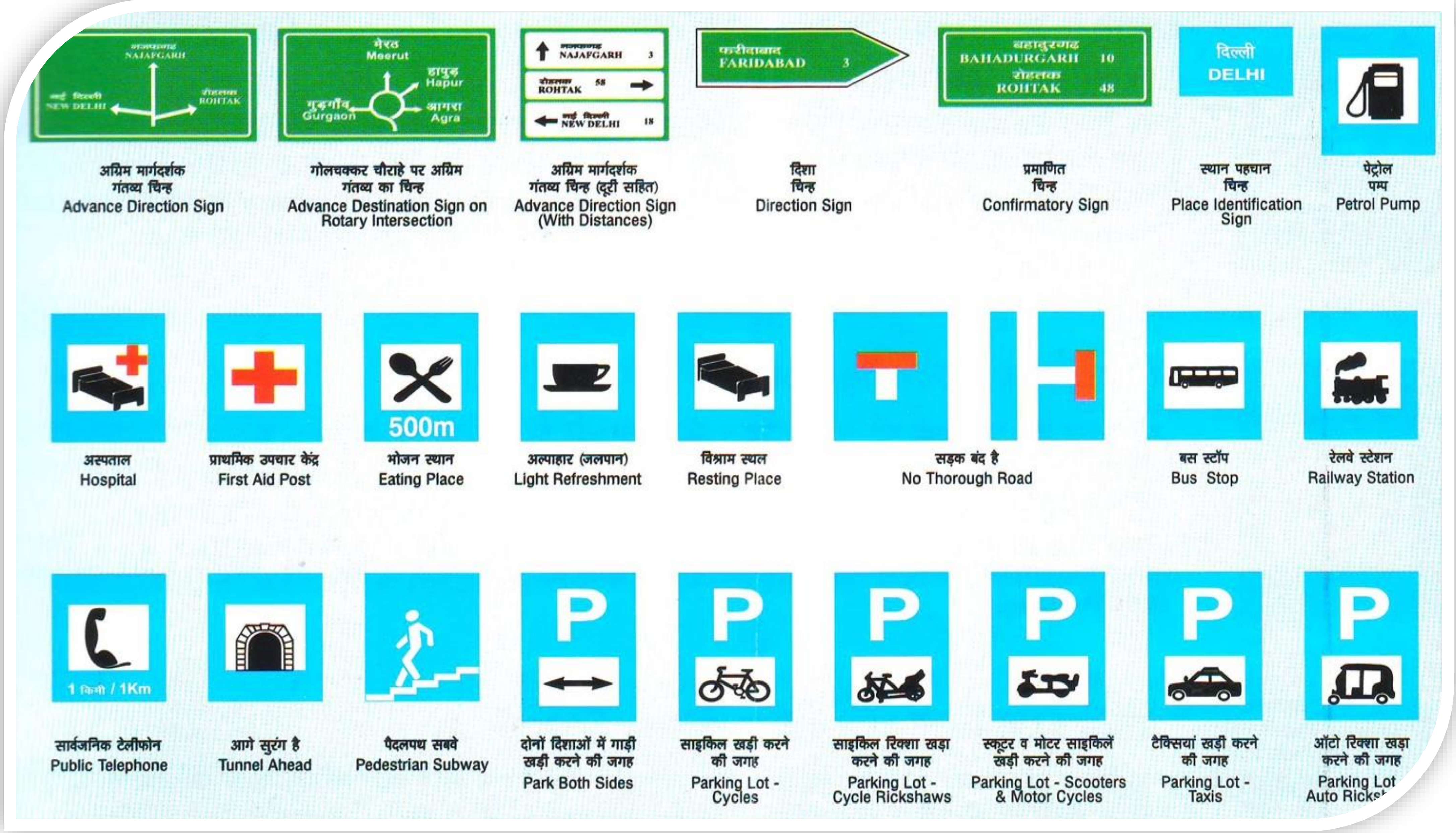
NAJAFGARH
NEW DELHI
ROHTAK
मेरठ
Meerut
हापुड़
Hapur
गुड़गाँव
Gurgaon
आगरा
Agra
NAJAFGARH 3
ROHTAK 58
NEW DELHI 18
फरीदाबाद
FARIDABAD 3
बहादुरगढ़
BAHADURGARH 10
रोहतक
ROHTAK 48
दिल्ली
DELHI
अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह
Advance Direction Sign
गोलचक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का चिन्ह
Advance Destination Sign on Rotary Intersection
अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह (दूरी सहित)
Advance Direction Sign (With Distances)
दिशा चिन्ह
Direction Sign
प्रमाणित चिन्ह
Confirmatory Sign
स्थान पहचान चिन्ह
Place Identification Sign
पेट्रोल पम्प
Petrol Pump
500m
अस्पताल
Hospital
प्राथमिक उपचार केंद्र
First Aid Post
भोजन स्थान
Eating Place
अल्पाहार (जलपान)
Light Refreshment
विश्राम स्थल
Resting Place
सड़क बंद है
No Thorough Road
बस स्टॉप
Bus Stop
रेलवे स्टेशन
Railway Station
1 किमी / 1Km
P
सार्वजनिक टेलीफोन
Public Telephone
आगे सुरंग है
Tunnel Ahead
पैदलपथ सबवे
Pedestrian Subway
दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह
Park Both Sides
साइकिल खड़ी करने की जगह
Parking Lot - Cycles
साइकिल रिक्शा खड़ा करने की जगह
Parking Lot - Cycle Rickshaws
स्कूटर व मोटर साइकिलें खड़ी करने की जगह
Parking Lot - Scooters & Motor Cycles
टैक्सियां खड़ी करने की जगह
Parking Lot - Taxis
ऑटो रिक्शा खड़ा करने की जगह
Parking Lot Auto Ricks

मील का पत्थर: रंग कूट (colour code)

सड़क पट्टिकाओं के माध्यम से यातायात नियंत्रण

- ऐसी सड़क जिसके मध्य खंडित रेखा बनी हो ओवरटेक करते समय ही वाहन इस रेखा को पार करेगा तथा पुनः अपनी लेन में वापिस आ जायेगा

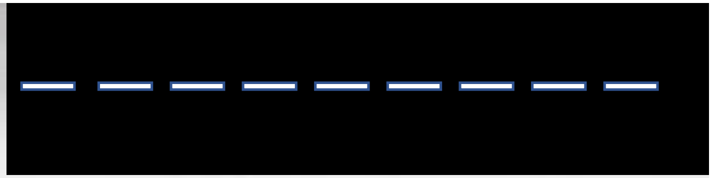

- सड़क के मध्य में जो सफ़ेद गहरी लाइन मल्टीपल लेन रोड पर होती है, इस लाइन का मतलब है आप इस गहरी लाइन को क्रॉस करके आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं

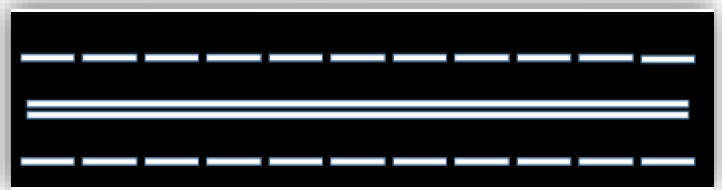

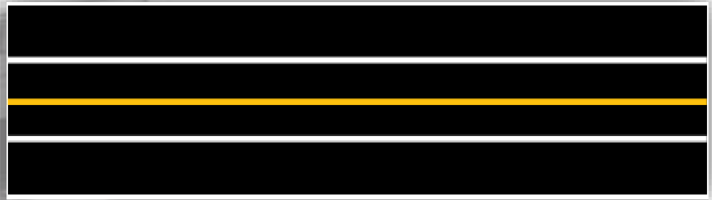

- किसी भी सड़क पर बीचों-बीच पीले रंग की पट्टी यानी लाइन बनी हुई है तो उसका मतलब होता है कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी ही लेन में किसी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर सकता है। बगल वाली

ट्रैफिक सिग्नल और कंट्रोल डिवाइस

- 6 लेन वाले सड़क के बीच में 2 पीली लाइन बताती हैं कि इस लाइन को क्रॉस करके आप न तो ओवरटेक कर सकते हैं और न ही वाहन को दाईं तरफ मोड़ सकते हैं

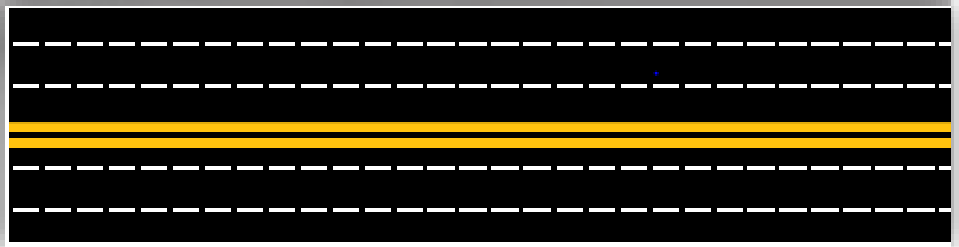

- जिन सड़कों पर दो समांतर पीली पट्टियां बनी होती है वहां पर किसी भी वाहन को एक दूसरे को ओवरटेक करने की मनाही होती है। मतलब कि सभी वाहन एक दूसरे के पीछे सामान्य गति से चलेंगे

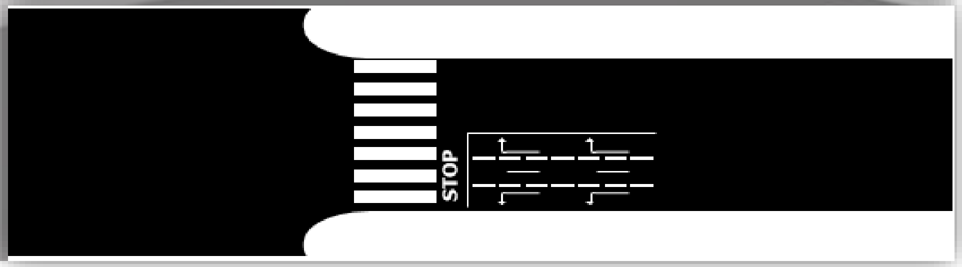

- स्टॉप लाइन हमें बताती है कि यहाँ अपने वाहन को रोक लीजिये

ट्रैफिक सिग्नल और कंट्रोल डिवाइस

- सड़क के किनारे ‘गिव वे’ चिन्ह का मतलब है रास्ता दें

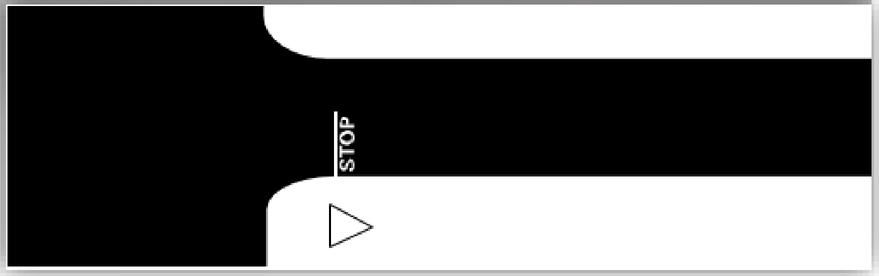

- सड़क के किनारे बनी हुई सॉलिड (गहरी) लाइन बताती हैं की आप अपने वाहन को इस गहरी लाइन के पार न ले जाएं; नहीं तो आप सड़क के किनारे पगडण्डी से टकरा सकते हैं

- किनारे पर बनी हुई पीली लाइन बताती हैं की आप यहाँ वाहन पार्क या खड़ा नहीं कर सकते हैं

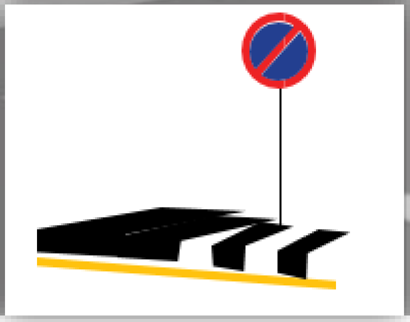

राष्ट्रीय राजमार्ग सम्बन्धित जानकारी

- राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए अद्वितीय टोल फ्री हेल्पलाइन "1033"(यह नंबर केवल राष्ट्रीय राज्यमार्ग के लिए है) कार्यरत है
- फास्टैग एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है। ये ऐसा ही है जैसा की कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड। हालांकि, ये आकार में क्रेडिट कार्ड से आधा या उससे छोटा भी होता है। कार के आगे वाले शीशे पर इसे लगाया जाता है। इसमें एक चिप लगी होती है जिसके अंदर आपके वाहन से संबंधित सारी जानकारी मौजूद रहती है। जैसे ही आप टोल प्लाजा पर जाएंगे आपके वाहन से जुड़ी सारी जानकारी दर्ज हो जाएगी। टोल प्लाजा पर फास्टैग की सूचना एकत्र करने

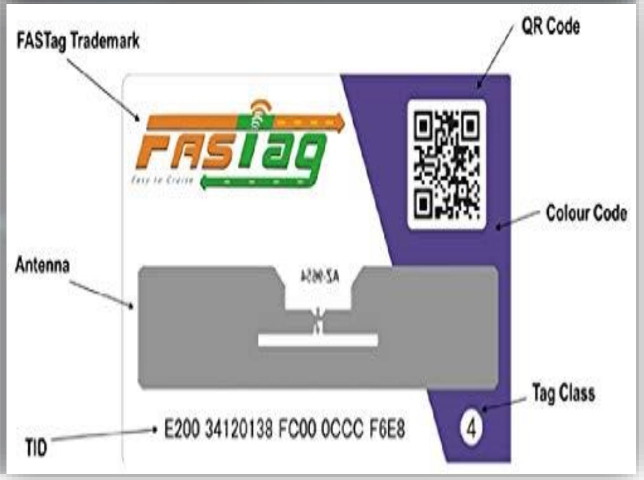

ट्रैफिक जाम

केस स्टडी

- इवेंट नं - P01041900438
- कॉलर ने क्या कहा-

- इस घटना का संक्षिप्त विवरण बनाएं
- इस घटना में एक PRV कर्मी के रूप में आप से क्या
- आप को इस घटना की सूचना मिलने पर आप क्या-क्या करेंगे?

घटना का विवरण

CO

Event Number	Call Time Stamp	Dispatch Time Stamp	Incident Time
P01041900438	01-04-2019 02:01:41	01-04-2019 02:07:18	--

District	Police Station	Area
MIRZAPUR	KACHHWA	MZR-AREA-CITY

Event Type	Event Sub Type	Incident Address
TRAFFIC_JAM	ILLEGAL_PARKING	NEAR RAILWAY CROSSING MIRZAPUR HIGHWEY 2 LINE SE 100 M

Caller Name	CallerNumber	Caller Address
SONU SINGH	917067942261	--

Remarks

MZR1095-INFO TO PRV BY PHONE FOR ACKNOWEDGE, ENRUTE, ARRIVE AND OTHER N/A.,PRV 1090 KO BATAYA GAYA HAI,PRV 1074 KO BATAYA GAYA,MAUKE PAR PRV 1074 MAUJUD HAI,#POI SEARCH.........पता - .....NEAR RAILWAY CROSSING MIRZAPUR HIGHWEY 2 LINE SE 100 MITER SE PICHE ARAYANPUR, MIRZAPUR.........|
...अभी की घटना है ....डी ग्रुप - ....MZR-SADAR...........काफी देर से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है परेशानी हो रही है एम्बुलेंस फसी हुई है ....कॉलर को थाना ज्ञात नही है .....|

विचारणीय बिंदु

- क्या आप काल सुनने के बाद CO रिमार्क से सहमत हैं?
- क्या ATR सही भरी गयी है?
- क्या आप PRV की कार्यवाही से संतुष्ट हैं?
- PRV इस घटना में और क्या कर सकती थी कि पुलिस की छवि बेहतर होती?
- क्या पीड़िता पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट होगी?

यातायात प्रबंधन में पी आर वी कर्मी की भूमिका

वाहन खराब होने, अवैध पार्किंग, सड़क मरम्मत, सड़क पर अतिक्रमण के कारण

सूचित किये जाने वाले अधिकारी /विभाग /कार्यालय

- थाना प्रभारी
- यातायात पुलिस
- परिस्थिति के अनुसार (जैसे अग्निशमन, एम्बुलेंस आदि)

वाहन खराब होने, अवैध पार्किंग, सड़क मरम्मत, सड़क पर अतिक्रमण के कारण

- सूचना प्राप्त होते ही दो 4 पहिया और 1 दो पहिया वाहन तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे
- घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के पी आर वी कमाण्डर द्वारा सूचनाकर्ता से दूरभाष करते हुए उससे नम्रता पूर्वक घटना की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा उसे सुरक्षा का बोध कराएंगे
- समस्त 4W/2W पर नियुक्त समस्त MDT संचालकों द्वारा MDT पर सूचना को 'Acknowledge', 'en - route' किया जायेगा एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही 'Arrived' करने की कार्यवाही की जायेगी

वाहन खराब होने, अवैध पार्किंग, सड़क मरम्मत, सड़क पर अतिक्रमण के कारण

- स्थानीय थाने के 4W प्रभारी के निर्देश में अन्य PRV कर्मियों के सहयोग से घटनास्थल पर पहुँचते ही निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त की जाएगी
- जाम का कारण क्या है तथा जाम कहाँ से शुरू हुआ है
- उक्त समस्त जानकारी को 4W के प्रभारी जनपद नियंत्रण कक्ष को आवश्यकतानुरूप जाम के कारण को समाप्त करने हेतु यदि यातायात पुलिस/ क्रेन की आवश्यकता हो तो उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराएँ

वाहन खराब होने, अवैध पार्किंग, सड़क मरम्मत, सड़क पर अतिक्रमण के कारण

- यातायात पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने पर अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु यातायात पुलिस को सुपुर्द करना, परन्तु जाम समाप्त होने तक यातायात पुलिस का सहयोग PRV कर्मियों द्वारा किया जायेगा
- यातायात व्यवस्था सामान्य होने पर 4W के MDT संचालक द्वारा प्रभारी के निर्देशन में ATR प्रेषित किया जायेगा

ख़राब ट्रैफिक लाईट

सूचित किये जाने वाले अधिकारी/विभाग/कार्यालय

- यातायात विभाग

पी आर वी द्वारा किये जाने वाले कार्य

- इस प्रकार की सूचना पर पी आर वी नहीं जाएगी परन्तु जनपद नियंत्रण कक्ष के स्तर से जनपद के यातायात पुलिस प्रभारी को ट्रैफिक लाईट मरम्मत हेतु सूचित किया जायेगा

जुलूस, धरना/ प्रदर्शन

सूचित किये जाने वाले अधिकारी/विभाग/कार्यालय

- यातायात विभाग

पी आर वी द्वारा किये जाने वाले कार्य

- इस प्रकार की सूचना पर पी आर वी नहीं जाएगी परन्तु जुलूस / धरना स्थल पर पूर्व से ही स्थानीय जनपद द्वारा पुलिस प्रबन्ध किया जाता है, जनपद नियंत्रण कक्ष को धरना/ जुलूस स्थल पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों को अवगत कराने हेतु सूचित किया जायेगा

हड़ताल, धर्मिक जुलूस, राजनैतिक जुलूस

- इस प्रकार की घटनाओं में पहले से ही सम्बन्धित विभागों इसकी जानकारी रहती है
- इस प्रकार की सूचना पर पी आर वी नहीं जाएगी परन्तु स्थानीय जनपद द्वारा पुलिस प्रबन्ध किया जाता है जनपद नियंत्रण कक्ष को, आवश्यकतानुरूप आवश्यक कार्यवाही हेतु मौके पर उपस्थित वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी को सूचना प्रेषित करने के लिये प्रकरण संदर्भित किया जायेगा

बारात

- थाना प्रभारी को सूचित करें
- सूचना प्राप्त होते ही दो 4 पहिया वाहन तत्काल घटनास्थल पर जाएँगी
- घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के पी आर वी कमाण्डर द्वारा सूचनाकर्ता से दूरभाष करते हुए उससे नम्रता पूर्वक घटना की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा उसे सुरक्षा का बोध कराएंगे
- समस्त 4w/2 w पर नियुक्त समस्त MDT संचालकों द्वारा MDT पर सूचना को 'Acknowledge', 'en - route' किया जायेगा एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही

बारात

- स्थानीय थाने के प्रतिनिधि एवं यातायात पुलिस के मौके पर पहुंचने पर प्रकरण को उन्हे अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा एवं यातायात सामान्य होने तक उनके सहयोगी की भूमिका अदा की जायेगी
- स्थानीय थाने के 4 W के MDT संचालक द्वारा मौके की वीडियोग्राफी कर MDT में सुरक्षित किया जायेगा
- स्थानीय थाने के 4W के MDT संचालक द्वारा प्रभारी के निर्देशन में ATR प्रेषितकी जायेगी एवं स्थिति सामान्य होने पर मौके से मुक्त होंगे

मैरेज लॉन/ मैरेज होम/ बारात घर में आयेजन, न्यू ईयर पर आयोजन, प्रमोशनल कन्सर्ट, मनोरंजक आयोजनों के कारण

- यातायात विभाग को सूचित करें
- घटना की सूचना प्राप्त होने पर सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते जाम / कारण के विषय में जानकारी प्राप्त की जायेगी
- 4W पर नियुक्त समस्त MDT संचालकों द्वारा MDT पर सूचना को 'Acknowledge', ‘en - route' किया जायेगा एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही 'Arrived' करने की कार्यवाही की जायेगी
- अन्य PRV कर्मियों के सहयोग से सडक पर अव्यवस्थिति रूप से पार्क किये गये वाहनों को व्यवस्थिति रूप से पार्क कराने हेतु आयोजन स्थल के

मैरेज लॉन/ मैरेज होम/ बारात घर में आयेजन, न्यू ईयर पर आयोजन, प्रमोशनल कन्सर्ट, मनोरंजक आयोजनों के कारण

- PRV कर्मियों के सहयोग से यातायात पुलिस के मौके पर पहुंचने तक वाहनों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सुरक्षागार्ड एवं आयोजन स्थल के मालिक/ मैनेजर के सहयोग से अव्यवस्थित रूप से पार्क वाहनों को व्यवस्थित रूप से पार्क कराया जायेगा एवं यथासम्भव यातायात को सामान्य किया जायेगा
- स्थानीय थाने के प्रतिनिधि एवं यातायात पुलिस के मौके पर पहुंचने पर प्रकरण को उन्हें अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा एवं यातायात सामान्य होने तक उनके सहयोगी की भूमिका अदा की जायेगी

मैरेज लॉन/ मैरेज होम/ बारात घर में आयेजन, न्यू ईयर पर आयोजन, प्रमोशनल कन्सर्ट, मनोरंजक आयोजनों के कारण

- MDT संचालक द्वारा प्रभारी के निर्देशन में ATR प्रेषित की जायेगी एवं स्थिति सामान्य होने पर मौके से मुक्त होंगे
- अन्य PRV कर्मियों के सहयोग से यातायात पुलिस के मौके पर पहुंचने तक वाहनो केा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सुरक्षागार्ड एवं आयोजन स्थल के मालिक/ मैनेजर के सहयोग से अव्यवस्थित रूप से पार्क वाहनों को व्यवस्थित रूप से पार्क कराया जायेगा एवं यथासम्भव यातायात को सामान्य किया जायेगा

मैरेज लॉन/ मैरेज होम/ बारात घर में आयेजन, न्यू ईयर पर आयोजन, प्रमोशनल कन्सर्ट, मनोरंजक आयोजनों के कारण

- स्थानीय थाने के प्रतिनिधि एवं यातायात पुलिस के मौके पर पहुंचने पर प्रकरण को उन्हे अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा एवं यातायात सामान्य होने तक उनके सहयोगी की भूमिका अदा की जायेगी

- MDT संचालक द्वारा मौके की वीडियोग्राफी कर MDT में सुरक्षित किया जायेगा

- MDT संचालक द्वारा प्रभारी के निर्देशन में ATR प्रेषित की जायेगी एवं स्थिति सामान्य होने पर मौके से मुक्त होंगे

ट्रैफिक जाम को कम करने के उपाय

- अधिक जाम लगने वाले बिन्दुओं को चिन्हित कर वहां विशेष रूप से सक्रिय रहना
- लोगों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित करना
- पद यात्रियों को पैदल पथ के प्रयोग हेतु जागरूक करना
- किसी विशेष अवसर पर प्रयोग में लाए जा सकने वाले सहायक तथा अन्य मार्गों की जानकारी रखना
- अराजक तत्वों तथा यातायात व्यवस्था बिगाड़ने वालों को पहचान कर उन्हें निषिद्ध करना

वीडियो

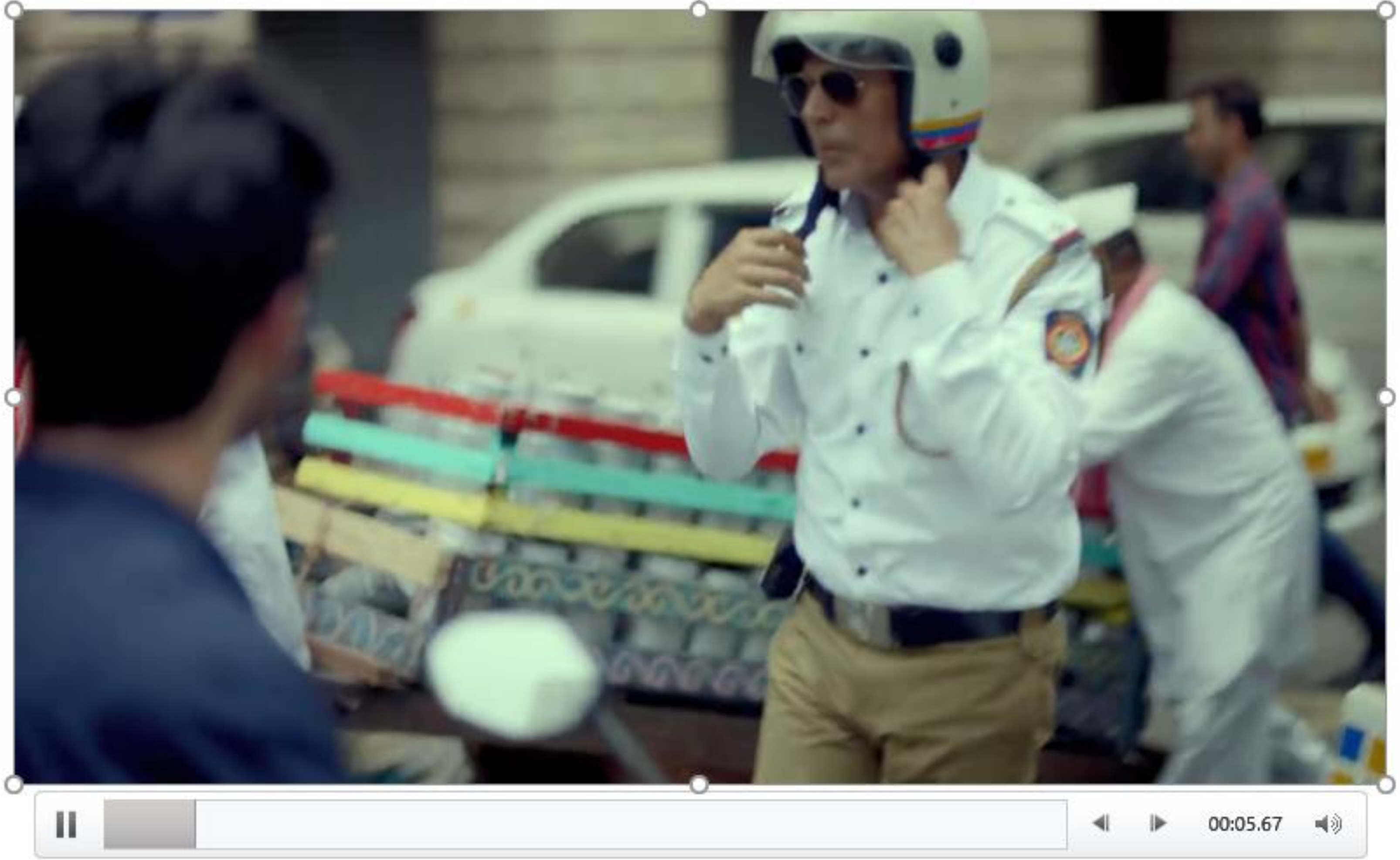

केस स्टडी

- इवेंट नं - P12031903132
- कॉलर ने क्या कहा-

- इस घटना का संक्षिप्त विवरण बनाएं
- इस घटना में एक PRV कर्मी के रूप में आप से क्या
- आप को इस घटना की सूचना मिलने पर आप क्या-क्या करेंगे?

घटना का विवरण

CO

Event Number	Call Time Stamp	Dispatch Time Stamp	Incident Time
P12031903132	12-03-2019 10:09:04	12-03-2019 10:10:55	--

District	Police Station	Area
FAIZABAD	MGNJ-FZD	FZD-AREA-RURAL

Event Type	Event Sub Type	Incident Address
TRAFFIC_JAM	ENT_EVNTS	FZD-SADAR DALPATPUR UPARHAR, FAIZABAD AHIRAM BABA KE I

Caller Name	CallerNumber	Caller Address
RINKU TIWARI	919369923854	,,,,,

Remarks

FZD4382DISPATCHED,FZD4382ENROUTE,MAUKE PER PAHOOCHE CALLER MILA AUR JAM KO HATAYA GAYA JISKI SUCHNA PS MAHARAJGANJ KO BTAYA GYA,LBS कॉल है--- डी ग्रुप - FZD-SADAR DALPATPUR UPARHAR, FAIZABAD AHIRAM BABA KE MELE KE PAS PS-MGNJ-FZD मेले के कारण जाम लगा हुआ है घटना अभी की है बहुत भीड़ है
CALLER NUMBER:919369923854

विचारणीय बिंदु

- क्या आप काल सुनने के बाद CO रिमार्क से सहमत हैं?
- क्या ATR सही भरी गयी है?
- क्या आप PRV की कार्यवाही से संतुष्ट हैं?
- PRV इस घटना में और क्या कर सकती थी कि पुलिस की छवि बेहतर होती?
- क्या पीड़िता पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट होगी?

यातायात नियम एवं कानूनी जानकारी (मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक - 2019)

यातायात नियम एवं कानूनी जानकारी (मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक - 2019)

- धारा 177 सामान्य यातायात नियम उल्लंघन के लिए न्यूनतम अर्थ दण्ड 500 रूपए
- धारा 177 ए (नई) सड़क विनियम उल्लंघन के नियम, के लिए न्यूनतम अर्थ दण्ड 500 रूपए
- धारा 179 अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर न्यूनतम अर्थ दण्ड 2000 रूपए
- धारा 180 बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग पर न्यूनतम अर्थ दण्ड 2000 रूपए
- धारा 181 बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर न्यूनतम अर्थ दण्ड 5000 रूपए
- धारा 182 अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग पर न्यूनतम अर्थ दण्ड 10,000 रूपए

यातायात नियम एवं कानूनी जानकारी (मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक - 2019)

- धारा 183 तेज़ गति में वाहन चलाने पर हल्के मोटर वाहनों के लिए न्यूनतम अर्थ दण्ड 1000 रूपए तथा मध्यमाकार सवारी वाहन के लिए न्यूनतम अर्थ दण्ड 2000 रूपए
- धारा 184 खतरनाक ड्राइविंग करने पर न्यूनतम अर्थ दण्ड 5000 रूपए
- धारा 185 नशे में धुत्त होकर गाड़ी चलाने पर न्यूनतम अर्थ दण्ड 10,000 रूपए
- धारा 189 गति / दौड़ (स्पीडिंग / रेसिंग) करने पर न्यूनतम अर्थ दण्ड 5,000 रूपए
- धारा 192 ए बिना परमिट के वाहन चलाने पर न्यूनतम अर्थ दण्ड 10,000 रूपए
- धारा 193 (नई) एग्रीगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन) किये जाने पर अर्थ दण्ड 25,000 से 1,00,000 रूपए

यातायात नियम एवं कानूनी जानकारी (मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक - 2019)

- धारा 194 ए यात्रियों की ओवरलोडिंग पर 1000 रूपए प्रति अतिरिक्त यात्री
- धारा 194 बी सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर न्यूनतम अर्थ दण्ड 1000 रूपए
- धारा 194 सी दो पहिया वाहनों का ओवरलोडिंग करने पर न्यूनतम अर्थ दण्ड 2000 रूपए एवं 3 महीने के लिए लाइसेंस का निलम्बन
- धारा 194 डी हेलमेट का प्रयोग करने पर न्यूनतम अर्थ दण्ड 1000 रूपए एवं 3 महीने के लिए लाइसेंस का निलम्बन
- धारा 194 ई आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं करने पर अर्थ दण्ड 10,000 रूपए
- धारा 196 बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर अर्थ दण्ड 2000 रूपए

यातायात नियम एवं कानूनी जानकारी (मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक - 2019)

- धारा 199 जुवेनिलेस द्वारा अपराध किये जाने पर अभिभावक / मालिक को दोषी माना जाएगा जहां 25,000 रूपए अर्थ दण्ड एवं 3 वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाएगा | जुवेनाइल पर जे जे एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी साथ ही मोटर वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा |

कुछ ध्यान रखने योग्य बातें

- अपने आचरण से अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं हेतु अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें
- समानुभूतिपूर्ण आचरण रखें एवं घटना पर SOP के अनुरूप कार्यवाही करें
- अपने कार्यक्षेत्र में यथासंभव लोगों को यातायात सम्बन्धी विषयों के बारे में जागरूक करते रहें

प्रश्नोत्तर

निष्कर्ष

शपथ

मैं शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा सम्बन्धी बातों का ध्यान रखूँगा/रखूंगी; मैं सड़क एवं यातायात नियमों का हमेशा पालन करूँगा/करुँगी; मैं अपने एवं सड़क पर चलने वाले सभी साथियों की सुरक्षा का ध्यान रखूँगा/रखूंगी; मैं समर्पित भाव से सड़क सुरक्षा पर नियमित रुप से कार्य करूँगा/करुँगी तथा दूसरों को भी शिक्षित एवं जागृत करने के लिए प्रेरित करूँगा/करुँगी; मैं सड़क पर दुर्घटना-पीड़ित व्यक्ति की मदद करने में हमेशा अग्रसर रहते हुए एक स्वच्छ-स्वस्थ-

सन्दर्भ

क्र०सं०	विभाग/संस्था/मंत्रालय/प्रकाशक	यूआरएल/रिपोर्ट/प्रकाशन
1.	यातायात विभाग, उत्तर प्रदेश	www.uptransport.co.in
2.	सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार	https://parivahan.gov.in/parivahan/hi
3.	इंस्टिट्यूट ऑफ़ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च	• उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम 1998 (यातायात नियंत्रण) • मोटरयान चालान विनियम 2017
4.	द इंडियन एक्सप्रेस	https://indianexpress.com/
5.	दैनिक जागरण	https://inextlive.jagran.com/meaning-and-reasons-of-white-and

112 आपात सेवा सोशल मीडिया

Twitter
@112UttarPradesh

SMS
7233000100

E-Mail
100@up100.uppolice.gov.in

Facebook
@Call112

Whatsapp
7570000100

Citizen Portal
Up100.uppolice.gov.in

Sources to Connect 112

धन्यवाद!